राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :--एफ4(ई)लिंक नं. 705 /निप/अलेसे III/23 **दिनांक :--** 21-8-2023

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना विधायकपुरी थाना, जयपुर दक्षिण, जयपुर के पत्रांक 2306-10 दिनांक 16.08.2023 के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार, सलेअ-II को अभियोग संख्या 205/2023 धारा 354C आईपीसी व 11 (iv), 12 पोक्सो एक्ट दिनांक 07.08.2023 में अनुसंधान किए जाने के उपरान्त दिनांक 14.08.2023 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री रविन्द्र कुमार, सलेअ-II, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर को इनकी गिरफ्तारी दिनांक 14.08.2023 से सेवा से निलम्बित किया जाता है। श्री रविन्द्र कुमार को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री रविन्द्र कुमार, सलेअ-II का राज्य सेवा से निलम्बन अवधि में मुख्यालय कोष कार्यालय, सीकर निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री रविन्द्र कुमार नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देंगे।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :--एफ4(ई)लिंक नं. 705 /निप/अलेसे III/23 **दिनांक :--** 21-8-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना विधायकपुरी, जयपुर दक्षिण, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोषालय सीकर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
4. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. श्री रविन्द्र कुमार, सलेअ-II
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II/III)